

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 127]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 फरवरी 2021 — माघ 28, शक 1942

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 8 फरवरी 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-3/2018/29-2. — उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का सं. 35) की धारा 102 की उप-धारा (1) तथा धारा 101 की उप-धारा (2) के खण्ड (ढ) और (ब) सहपठित धारा 29 एवं 43 के अधीन भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि. 451(अ), दिनांक 15 जुलाई, 2020 तथा क्रमांक सा.क.नि. 452(अ), दिनांक 15 जुलाई, 2020 को राज्य सरकार एतद्वारा, सम्यक् रूप से अंगीकृत करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 8th February 2021

NOTIFICATION

No. F-5-3/2018/29-2. — The State Government, hereby, duly adopts the Notification No. G.S.R. 451(E), dated 15th July, 2020 issued by the Government of India, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public distribution (Deptment of Consumer Affairs) under sub-section (1) of Section 102 and clause (n) and (w) of sub-section (2) of Section 101 read with Section 29 and 43 of the Consumer Protection Act, 2019 (No. 35 of 2019)

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR SONI, Special Secretary.